प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर द्वारा 57वीं GST परिषद की सिफारिशों पर "सहज कर संवाद" सेमिनार का आयोजन

कानपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2026

केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर द्वारा CBIC के 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी करदाता संपर्क एवं हैंड-होल्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत "सहज कर संवाद – सरल अनुपालन, सशक्त करदाता" विषय पर प्रथम मासिक सेमिनार का आयोजन दिनांक 28.10.26 को सायं 05:30 बजे, मर्चेंट्स चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश, सिविल लाइंस, कानपुर में किया गया।

अध्यक्षता: माननीय श्री मनोज कुमार, आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर।

मंच पर श्री सी. एन. मिश्रा, अपर आयुक्त, CGST, कानपुर, श्री प्रकाश वीर सिंह मीणा, CGST, कानपुर एवं मर्चेंट्स चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश से श्री अतुल कनोडिया, श्री संतोष कुमार गुप्ता एवं श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 110 व्यापारी, निर्माता, MSME, निर्यातक, CA, अधिवक्ता एवं कर सलाहकार शामिल हुए।

कार्यक्रम में श्री सी. एन. मिश्रा, अपर आयुक्त, CGST, कानपुर, श्री प्रकाश वीर सिंह मीणा, CGST, कानपुर एवं श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव CA ने 57वीं GST परिषद की मीटिंग में लिए गए निर्णयों के विषय में जानकारी दी एवं चर्चा की तथा करदाताओं और सलाहकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए।

कार्यक्रम में माननीय श्री मनोज कुमार, आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर ने कहा कि ये सुधार विश्वास-आधारित एवं सुविधाजनक GST व्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम हैं एवं कार्यक्रम में सभी की सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया तथा नए परिवर्तनों का लाभ सभी को जानकारी एवं सहयोग के माध्यम से देने का निवेदन किया।